Photo-copy - As per requirement of Banking Division.

रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2003 (अग्रहायण 8, 1925)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29—DECEMBER 5, 2003 (AGRAHAYANA 8, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

यूको बैंक सामान्य (संशोधित) विनियम, 2003

UCO BANK General (Amendment) Regulations, 2003

यूको बैंक

कोलकाता, दिनांक 18 नवम्बर 2003

संदर्भ सं. प्र.का./विधि/1004/2003

यूको बैंक के निदेशक मंडल, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) विनियम, 1970 (1970 का 5), धारा 19 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श एवं कद्र सरकार से प्राप्त पूर्वानुमति से यूको बैंक सामान्य विनियम,1998 को पुनर्संशोधित करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करते हैं , यथा

1. (I) ये विनियम **यूको बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003** कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. "यूको बक सामान्य विनियम,1998" को " यूको बैंक (शेयर एवं मीटिंग) विनियम,2003" के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा।

3. यूको बैंक (संशोधन) विनियम, 2003 के विनियम 2 , यथापुनर्नामित, में

(i) खंड (ड.) के लिए निम्नलिखित स्थानापन्न होंगे, यथा

(-ड.) "समिति अर्थात विनियम 2 क के अंतर्गत गठित समिति"

(ii) खंड (ट) में निम्नलिखित शब्दों और आंकड़ों को अंत में अंतर्विष्ट किया जाएगा, यथा -

" के द्वारा अनुरक्षित हितकारी मालिकों के रजिस्टर एवं निक्षेप अधिनियम, 1966 (196 का 2) की धारा 11 के अंतर्गत निक्षेपागार "

4. विनियम 2 के बाद निम्नलिखित नए विनियम अंतर्विष्ट होंगे, यथा

" 2 क (i) विनियम 67 के खंड (ii) में यथाउपबंधित को छोड़कर, जब कभी आवश्यक हो, इन विनियमों के प्रयोजनार्थ बोर्ड एक समिति गठित कर सकता है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा दो और निदेशक, जब वे उचित समझें, होंगे।

(ii) इस विनियम के अधीन गठित समिति बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी ।"

5. विनियम 5 के खंड (v) को हटा दिया जाएगा ।

IndiaCode

6. विनियम 5 के बाद निम्नलिखित विनियमों को अंतर्विष्ट किया जाएगा, यथा

"5 क (i)बैंक जबतक रजिस्टर इस रूप में न हो कि इसमें अपने आप एक सूचना समाविष्ट हो जाए, एक सूचक रखगा जो शेयरधारकों के नाम के सूचक कार्ड के रूप में हो सकता है और उस तारीख के पश्चात जब शेयरधारकों के रजिस्टर में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, चौदह दिन के भीतर सूचक में आवश्यक परिवर्तन करेगा।"
(ii) सूचक को शेयरधारकों के रजिस्टर के साथ रखा जाएगा।"

7. विनियम 7 के खंड (ii) में "फर्मों के मामले में " - इन शब्दों के स्थान पर "भागीदारी फर्मों के मामले में " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

8. विनियम 8 के खंड (ii) में निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, यथा
" (iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 (2000 का 21) में नियत रक्षोपाय के अधीन इलेक्ट्रोनिक रजिस्टर का रख-रखाव किया जाएगा।"
9. विनियम 11 के खंड (ii) में "प्रति100 शब्दों के लिए 5 रुपए के दर पर " शब्दों के स्थान पर "प्रति 1000 शब्दों के लिए 5 रुपए के दर से या बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. विनियम 12 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात

"12. रजिस्टर को बंद करना - अगर बैंक की राय में आवश्यक हो तो बक,प्रयोज्य दिशा-निर्देशक सिद्धांतों एवं शेयर बाजार के साथ सूचीबद्ध करार का अनुपालन सुनिश्चित करने पश्चात सात दिनों से अनधिक समय में भारत में बिक्री होनेवाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा पूर्व सूचना देकर किसी भी अवधि के लिए, लेकिन कुल 45 दिनों से अनधिक अवधि एवं एक साथ 30 दिनों से अनधिक अवधि के लिए, शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद कर सकता है।

11. विनियम 13 में ,

(i) खंड (ii) में " बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी " - शब्दों के स्थान पर " वेतनमान II या कंपनी सचिव स अन्यून कोटि के कोई अन्य अधिकारी " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
(ii) खंड (v) को बाद किया जाएगा।
12. विनियम 15 में शीर्षक " शेयर प्रमाण-पत्र का नवीकरण " शब्द की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात "नए या डुप्लिकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी करना।"

13. विनियम 17 में खंड (iii) एवं (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे , यथा

"(iii) अंतरण सूचीबद्ध करने हेतु अनुरोध के साथ शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरण संबंधी लिखत बैंक को प्राप्त होने पर बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत समिति तकनीकी अपेक्षाओं के पूर्ण अनुपालन के सत्यापन के लिएशेयर प्रमाणपत्र के साथ उक्त लिखत को रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता के पास अग्रेषित करेंगे। रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता शेयर प्रमाण-पत्र के साथ , अगर कोई हो,संगत शेयर के पंजीकरण के निष्पादन और टिकट के साथ तथा बोर्ड द्वारा अपेक्षित हक के अंतरण के पक्ष में अन्य साक्ष्य के साथ अंतरण संबंधी उक्त लिखत को पुनः प्रस्तुत करने हेतु हस्तांतरिती को लौटाएंगे। "

व्याख्या :- " तकनीकी अपक्षाओं " का आशय है -

(क) अंतरण विलेख पर विधिवत टिकट - लगा हो।
(ख) अंतरण संबंधी विलेख में दी गई प्रमाण -पत्र संख्या या विशिष्ट संख्या शेयर प्रमाणपत्र में दी गई प्रमाणपत्र संख्या या विशिष्ट संख्या से मेल खाती हो।
(ग) अंतरक के हस्ताक्षर मेल खाते हो।
(घ) अंतरण विलेख साक्ष्यित हो।

(iv) इसके बाद आनेबाले विनियम 19 के अधीन अंतरण सूचीबद्ध करने से इनकार नहीं किए जाने की स्थिति में बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत समिति अंतरण को पंजीवृत्त कर लेंगे।

(v) इसके बाद आनेवाले विनियम 19 के तहत अंतरण सूचीबद्ध करने से इनकार नही किए जाने की स्थिति में अंतरण लिखत के प्रस्तुत करने के 60 दिनों के अंदर विधिवत अंतरित शेयर प्रमाण -पत्र हस्तांतरिती के सुपुर्द किए जाएंगे।

14. विनियम 19 में -

(i) खंड (i) में "बोर्ड इनकार कर सकता है " शब्दों के स्थान पर " बोर्ड या समिति इनकार कर सकती है " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
(ii) खंड (i) के परंतुक को बाद दिया जाएगा।
(iii) खंड (ii) में -

(अ) प्रारंभ के शब्द "बोर्ड " के स्थान पर " बोर्ड या समिति" प्रतिस्थापित होंगे।
(आ) उप-खंड (आ) में निम्नलिखित उप-वाक्य प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात

"अगर ऐसी राय हो कि उपविनियम (i) में वर्णित किसी भी आधार पर पंजीकरण को इनकार किया जाता है तो अंतरण विलख प्राप्त होने की तिथि स 60 दिनों या संबद्ध शेयर बाजार द्वारा सूचीकरण करार में निर्धारित अवधि के अंदर अंतरक एवं हस्तांतरिती को इनकार का कारण बताते हुए सूचित किया जाएगा। "

15. विनियम 21 में निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी , अर्थात

" व्याख्या - इस विनियम के अंतर्गत, सूचीकरण के लिए शेयरधारक की पात्रता समाप्त हो सकती है,-
(क) अगर वह किसी नाबालिग हो और नाबालिग बालिग हो गया हो ;
(ख) अगर वह कर्ता के रूप में शेयरधारक हो और अब वह कर्ता नहीं है।"

16. विनिमय 32 में , "एतदर्थ बोर्ड के संकल्प द्वारा " के स्थान पर "एतदर्थ विनियम 31 के अध्यधीन समपहरण की सूचना-अवधि बीत जाने के बाद आयोजित होनेवाली इसकी अगली बैठक में बोर्ड के संकल्प द्वारा " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

17. विनियम 44 में, "बैंक का कोई अन्य अधिकारी " के स्थान पर "कंपनी सचिव या बैंक के वेतनमान II से अन्यून कोटि के कोई अन्य अधिकारी " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

IndiaCode

18. विनियम 46 में, खंड (ii) के परंतुक के रूप में

(i) " पंजीकृत डाक द्वारा -बिना पावती के या पावती के साथ " शब्दों के स्थान पर " पंजीकृत डाक द्वारा - बिना पावती के या पावती के साथ या कूरियर सेवा द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंग।
(ii) " इलेक्ट्रोनिक माध्यम से , जैसी स्थिति हो " शब्दों के स्थान पर " डाक के साधारण क्रम में " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

19. अध्याय III में -

(i) विनियम 47 में "एक या अधिक निक्षेपागार " शब्दों को " निक्षेपागार अधिनियम, 1966 की धारा 2 (ङ) में दी गई व्याख्या के अनुरूप एक या अधिक निक्षेपागार " से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) विनियम 48 से 55 तक बाद दिए जाएंगे।

20. विनियम 56 के खंड (i) में "कोई भी प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों के स्थान पर " वेतनमान VII से या कंपनी सचिव से अन्यून कोटि के कोई भी अधिकारी " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

21. विनियम 61 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात

" 61 अ मतदान के संवीक्षक "

(i) जहां मतदान करवाने की आवश्यकता हो वहां , बैठक के अध्यक्ष मतदान में प्रदत्त मत की संवीक्षा हेतु एवं उन्हें तत्संबंधी रिपोर्ट देने हेतु दो संवीक्षक नियुक्त करेंगे।
(ii) बैठक के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे मतदान के परिणाम घोषित होने के पूर्व कभी भी किसी संवीक्षक को हटा सकते हैं और किसी कारण से उनको हटाए जाने से हुई रिक्ति की पूर्ति कर सकते हैं।
(iii) इस विनियम के अधीन् नियुक्त दो संवीक्षकों में से एक संवीक्षक बैठक में उपस्थित शेयरधारक (जो बैंक के अधिकारी या कर्मचारी नहीं होंगे) होंगे बशर्ते वे शेयरधारक वहां उपलब्ध हो और नियुक्ति के लिए इच्छुक हों।

" 61 आ मतदान पद्धति एवं उसके परिणाम -

(i) बैठक के अध्यक्ष को मतदान-पद्धति के नियंत्रण का अधिकार होगा।
(ii) मतदान के परिणाम का निर्णय उसी बैठक का निर्णय समझा जाएगा जिसके संकल्प पर मतदान किया जाएगा।

22. विनियम 62 में खंड (iii) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात

" (iv) शेयरधारक द्वारा कार्यवृत्त विवरण पुस्तिका के निरीक्षण के लिए या किसी बैठक विशेष के कार्यवृत्त की प्रति की लिखित मांग किए जाने पर बैंक निरीक्षण या प्रति की आपूर्ति, जो भी स्थिति हो, अनुमति देगा।"

23. विनियम 65 के खंड (i) के उपखंड (क) में " 100 (एक सौ) शेयरों के धारक " शब्दों के स्थान पर "100 (एक सौ) से अन्यून शेयरों के धारक " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

UCO BANK

Kolkata, the 18th November 2003

No. HO/LAW/1004/2003

No. 74. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend UCO Bank General Regulations, 1998, namely,

1. (1) These regulations may be called the UCO Bank General (Amendment) Regulations, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. "UCO Bank General Regulations, 1998" shall be renamed as "UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003".

3. In Regulation 2 of UCO Bank (Amendment) Regulations, 2003, so renamed,

(i) for clause (e), the following shall be substituted, namely:-

(e) "Committee means a Committee constituted under Regulation 2A"

IndiaCode

(ii) in clause (j), the following words and figures shall be inserted at the end, namely:-

"and register of beneficial owners maintained by and depository under section 11 of the Depository Act, 1996 (22 of 1996)".

4. after regulation 2, the following new regulation shall be inserted, namely:-

"2A(i) Except as provided in Clause (ii) of regulation 67, the Board may constitute, as and when necessary, a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other directors as it may deem fit, for the purposes of these regulations;

(ii) The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of procedure as may be specified by the Board ".

5. In regulation 5, Clause (v) shall be omitted.

6. After regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely:-

"5A(i) The Bank shall , unless the register is in such form as in itself to constitute an index, keep an index, which may be in form of a card index of the names of shareholders and shall, within fourteen days after the date on which any alteration is made in the register of shareholders, make the necessary alteration in the index.

(ii). The index shall be kept with the register of shareholders".

7. In regulation 7, in clause (ii) for the words "in case of firms", the words " in case of partnership firms " shall be substituted.

8. In regulation 8, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) The register in electronic form shall be maintained subject to such safeguards as stipulated for securing electronic records under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)."

9. In regulation 11, in clause (ii) for the words " at the rate of Rs.5/- for every 100 words", the words "at the rate of Rs.5/- or at such rate as the Board may decide for every 1000 words" shall be substituted.

10. For regulation 12, the following shall be substituted, namely:-

"12. Closing of the register- The Bank may, after ensuring compliance of the applicable guidelines and the listing agreement with the Stock Exchanges, and after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as may in its opinion, be necessary".

11. In regulation 13,

(i) In clause (ii) for the words " some other officer appointed by the Board", the words "some other officer not below the rank of Scale II or the Company Secretary" shall be substituted;

(ii) Clause (v) shall be omitted.

IndiaCode

12. In regulation 15, for the heading "Renewal of share certificate" the following shall be substituted, namely:

"Issue of new or duplicate share certificate ".

13. In regulation 17, for the clauses (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar or Share Transfer Agent for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with the share certificate, if any, to the transferee for resubmission unless the instrument of transfer is presented to the bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

Explanation:- "~~Illustrations of~~ technical requirements" means

(a) Transfer deed shall be duly stamped ;

(b) Certificate number or distinctive number mentioned in the transfer deed shall tally with the share certificate;

(c) Transferor's signature shall tally;

(d) Transfer deed shall be witnessed. "

(iv) The Board or the Committee designated by the Board shall, unless it refuses to register the transfer under regulation 19 hereinafter, cause the transfer to be registered.

(v) Unless the transfer of shares is refused under regulation 19, the share certificate duly transferred shall be delivered to the transferee within sixty days from the date of lodging of the instrument of transfer '.

14. In regulation 19:-

(i) In clause (i) for the words "The Board may refuse", the words "The Board or Committee may refuse" shall be substituted;

(ii) the proviso to clause (i) shall be omitted;

(iii) in clause (ii)-

(a) In the opening portion for the words " The Board shall", the words " the Board or Committee shall" shall be substituted

(b) for sub-clause (b), the following sub- clause shall be substituted, namely :-

"If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub regulation (i) intimate the same to the Transferor and the Transferee by notice in writing giving reasons for such refusal within 60 days from the receipt of transfer form or within such period as may be laid down in the Listing Agreement with the concerned Stock Exchange".

15. The following Explanation shall be inserted in regulation 21, namely:-

"Explanation- For the purposes of this regulation, a shareholder may cease to be qualified for registration,-

(a) If he is a guardian of minor, on the minor attaining the majority;

(b) If he is holding shares as a Karta, on his ceasing to be a Karta".

16. In regulation 32, for the words " by a resolution of the Board to that effect" the words " by a resolution of the Board to that effect at its next meeting to be held after the expiry of the notice of forfeiture under regulation 31 " shall be substituted.

17. In regulation 44, for the words " any other Officer of the Bank", the words "Company Secretary or any other Officer of the Bank not below the rank of Scale II" shall be substituted.

18. In Regulation 46, in proviso to the clause (ii),-

(i) for the words " by registered post, with or without acknowledgement due, the words "by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode" shall be substituted ;

(ii) The words " or electronic media, as the case may be " shall be inserted after the words " ordinary course of post ".

19. In Chapter III,-

(i) in regulation 47, for the words "one or more depository ", the words one or more depository as defined in section 2(e) of the Depositories Act, 1996" shall be substituted;

(ii) regulations 48 to 55 shall be omitted.

20. In regulation 56, in clause (i), for the words " any authorised official" the words " any officer not below the rank of Scale VII or Company Secretary" shall be substituted.

21. After regulation 61, the following regulations shall be inserted, namely:-

"61A Scrutineers at Poll.

(i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.

(ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineers from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or fr , any other cause.

(iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or employee of the Bank) present at the meeting: provided , that such a shareholder is available and willing to be appointed.

61B. Manner of taking poll and result thereof.

(i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.

(ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken".

India Code

22. In regulation 62, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely;

"(iv) On written request made by a shareholder for inspection of the minute book or for a copy of the minute of a specified meeting, the Bank shall allow the inspection or furnish the copy of the minute, as the case may be, to the shareholder".

23. In regulation 65, in Clause (i), in sub-clause (a), for the words "holding 100 (one hundred) shares', the words " holding not less than 100 (one hundred) shares " shall be substituted.

IndiaCode